

निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :91/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रामनारायण पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी ग्राम बस्सी झाझडा, तहसील जोबनेर  
जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री अभिमन्यु सिंह आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढ  
रेनवाल जिला जयपुर अतिरिक्त चार्ज उपखण्ड अधिकारी जोबनेर ।
2. बुद्धाराम पुत्र बालूराम
3. गंगाराम पुत्र भैरू
4. जगदीश पुत्र लालाराम

समस्त जाति जाट निवासी बस्सी झाझडा, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
1955 विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण  
संख्या 186/2022 उनवानी बुद्धाराम बनाम गंगाराम व अन्य को अन्यत्र  
सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।



उपस्थित -

1. श्री मदन लाल कुडी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री सीताराम कुमावत अधिवक्ता अप्रार्थी 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 09.07.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी जोबनेर  
के समक्ष प्रकरण संख्या 186/2022 उनवानी बुद्धाराम बनाम गंगाराम व अन्य  
विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर  
प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का  
अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर क्रिया गया। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर से  
विन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम  
कुमावत ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर  
जयपुर (ग्रामीण)



4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी जोधनेर के न्यायालय में उक्त प्रकरण विचाराधीन है। उपखण्ड अधिकारी जोधनेर का अतिरिक्त चार्ज उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल को दे रखा है जो वर्तमान में इस प्रकरण की सुनवाई कर रहे है। दिनांक 23.05.2024 को प्रार्थी तारीख पेशी पर न्यायालय में गया तो वहां पर अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी को धमकी दी कि मेरी एस डी ओ साहब से बात हो चुकी है और वह शीघ्र ही तुम्हारे व बाबूलाल द्वारा प्रस्तुत दुरुरती के प्रकरण को खारिज कर देंगे। जिस पर प्रार्थी ने उक्त घटना की जानकारी अप्रार्थी संख्या 1 को दी तो अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को कहा कि मेरे ऊपर राजनैतिक दबाव है। मैं शीघ्र ही बाबूलाल द्वारा प्रस्तुत दुरुरती के प्रार्थना पत्र को खारिज करूंगा तथा उक्त दावे का निस्तारण तुम्हारे विरुद्ध करूंगा तथा अप्रार्थी संख्या 2 ने जो तकासमें का दावा पेश किया है उसको मैं आपको बिना सुने ही डिकी करूंगा। जिससे प्रार्थी को अन्देशा हो गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कानून के विपरीत जाकर अप्रार्थीगण संख्या 2, 3 व 4 को अनुचित लाभ पहुंचाना चाहता है। दिनांक 23.05.2024 को प्रार्थी संख्या 1 ने बाबूलाल द्वारा प्रस्तुत दुरुरती के प्रार्थना पत्र जिसमें आप जो अनुतोष चाह रहे हो को खारिज कर तथा बुद्धाराम द्वारा प्रस्तुत तकास्मा का दावा का निस्तारण तुम्हारे विरुद्ध करने हेतु कहा। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 ने भी प्रार्थी को न्यायालय परिसर के बाहर धमकी दी कि मैंने मेरी राजनैतिक पहुंच से पीठासीन अधिकारी पर दबाव बना रखा है और वह शीघ्र ही उक्त प्रकरण का निस्तारण मेरे पक्ष में कर देगा। इस प्रकार प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। इसलिए प्रकरण को निष्पक्ष निर्णय हेतु अन्य समक्ष न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।



5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहता है। इसलिए मिथ्या व काल्पनिक तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना

4/11  
जिला न्यायालय  
जयपुर (प्रार्थी)

न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौरान सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुत्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुत्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुत्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

अलवर्ष आज दिनांक 09.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)  
जला ~~जयपुर~~  
जयपुर (ग्रामीण)